

पुनः सी.सी. नं. १००/२०२२

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898

In the Court of Tarunendra pratap singh Judicial Magistrate First Class Barhi

Crime No- 633/2022

Complaint or report made on.

Sum No- 269/2022

Name and address of the complainant :-

अभियुक्त/गण का नाम व पता

भजप कुमार झा पिता हनुमन्त झा
उम 28 लाल निवासी कुशी पस बरही
जिला कटकी (मधुप्र)

परिवादित अपराध का विवरण

यह कि आपने दिनांक 12.10.22 को दिन के लग. 07.50 बजे आरक्षी केन्द्र बरही के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र कुशी पस बरही बिना किसी वैध अनुमति के अपने आधिपत्य में मादक द्रव्य अर्थात देशी कच्ची महुआ की शराब कुल 0.3 लीटर विक्रय विनिमय व वितरण हेतु रखा। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा-34 (1) म.प्र. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है।

इस सम्बंध में आपको अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।

(तरुण जे.एम.एफ.सी. सिंह)
न्यायिक अधिकारी प्रथम श्रेणी
बरही, जिला कटकी (मधुप्र)

अभियुक्त/गण का अभिवाक एवं परीक्षण (यदि किया हो)-

अभियुक्त/गण को अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनायी एवं समझाई गई जिस पर

अभियुक्त/गण का अभिवाक :- अपराध स्वीकार है।

अभियुक्त

(19.10.22)
(तरुण जे.एम.एफ.सी. सिंह)
न्यायिक अधिकारी प्रथम श्रेणी
बरही, जिला कटकी (मधुप्र)

नोट- अभियुक्त/गण का अपराध स्वीकारोक्ति का अभिवाक, अपराध की विशिष्टियों के संदर्भ में यथा संभव, अभियुक्त/गण के शब्दों में ही दर्ज किया जावे।


TIN (Tax paym
/ Registr
D

॥ निर्णय ॥
(आज दिनांक 19.10.2022 को घोषित)

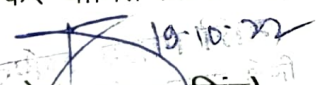
॥ निष्कर्ष ॥

- 01— अभियुक्त की स्वेच्छया एवं स्पष्ट अपराध अभिस्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को धारा-34 (1) म.प्र. आबकारी अधिनियम के अधीन दोषसिद्ध ठहराया गया।
- 02— अभियुक्त के विरुद्ध अंतर्गत धारा-34(1) म.प्र. आबकारी अधिनियम के अधीन अपराध की विशिष्टिय पढकर समझाये व सुनाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध को स्वेच्छया पूर्वक स्वीकार किये जाने के परिणाम स्वरूप उसे स्वीकारोक्ति के रूप में दोषसिद्ध ठहराया गया। प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्त को परीवीक्षा प्रावधान का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

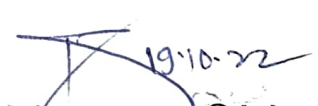
॥ दण्डादेश या अन्य अंतिम आदेश ॥

- 03— दंड के प्रश्न पर विचार किया गया। अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थितियों पर विचारोपरांत अभियुक्त ~~अज्ञात~~ को धारा-34 (1) म.प्र. आबकारी अधिनियम में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 10001 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है और अर्थदंड की अदायगी में व्यतिक्रम किये जाने पर उसे 15 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे।
- 04— जप्तशुदा मादक द्रव्य अर्थात देशी कच्ची महुआ की शराब मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे।
- 05— प्रकरण में अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि निरंक है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
दिनांकित कर घोषित किया गया।


(तरुणेन्द्र प्रताप सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बरही, जिला कटनी (म.प्र.)

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।


(तरुणेन्द्र प्रताप सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बरही, जिला कटनी (म.प्र.)